IndusInd Bank

वित्तीय पुनर्गठन एवं पुनर्निर्माण समूह, 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी
कॉम्प्लेक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के तहत इंडसइंड बैंक को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़ें) इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि **इंडसइंड बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने जारी नोटिस के माध्यम से उठाई गई मांग के अनुसार उल्लिखित निम्नलिखित संपत्ति(यों) का भौतिक कब्जा ले लिया है। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित ऋण खाते में बैंक के बकाया और ब्याज की वसूली के लिए "जैसा है, जहां है, जैसा है, जो है, जो कुछ भी है बिना संसाधन आधार पर पर बेचने का अधिकार है। इसके तहत और बकाया चुकाने में विफलता के परिणामस्वरूप, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त संपत्ति(यों) की बिक्री से बैंक की बकाया राशि की वसूली करने का प्रस्ताव करता है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों की बिक्री वेब पोर्टलः **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से ई–नीलामी के माध्यम से की जाएगी।

खाता/बंधककर्ता/गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस और डिमांड नोटिस तिथि के अनुसार राशि
मेसर्स केके ट्रेडिंग कंपनी, आलोक सिंघल, दीप्ति सिंघल और जय बाबा सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स	**31.05.2021 तक रू. 36,53,548/– (रूपये छत्तीस लाख तिरपन हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र) तथा 01.06.2021 से अतिरिक्त ब्याज तथा उस पर लागत, शुल्क एवं व्यय आदि।** **मांग सूचना दिनांकः 02.06.2021**

संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
आवासीय फ्लैट संख्या जी–1 का वह पूरा टुकड़ा जो 62.17 वर्ग मीटर में प्लॉट संख्या बी–64, कृष्णा एन्क्लेव, गाजियाबाद में राजस्व संपदा ग्राम महा सराय उर्फ कोट परगना लोनी जिला गाजियाबाद में स्थित है।	**रू. 24.00 लाख** **रू. 2.40 लाख** **रू. 1.00 लाख**	**26.09.2024 दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे तक**	**24.09.2024 शाम 4:00 बजे तक**

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण- यतेंद्र कुमार, मोबाइल नंबर 9990799379,
ई-मेल आईडीः kumar.yatendra@indusind.com

नियम एवं शर्तेः 1. इच्छुक बोलीदाताओं को अपना ईएमडी विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगाः **https:www.bankeauctions.com** (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम दर्ज करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) लॉगिन के माध्यम से आईडी एवं पासवर्ड. ईएमडी निम्नलिखित खाते 00053564604005, आईएफएससी कोड – **INDB0000005** में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से, उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों को या उससे पहले शाम 4:00 बजे तक देय होगी:कृपया ध्यान दें कि चेक ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। **2.** हालाँकि, बैंक किसी भी बकाया वैधानिक बकाया/बाधा/कर बकाया, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को बाधाओं, संपत्ति के शीर्षक के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और स्वयं का निरीक्षण और संतुष्ट होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अपॉइंटमेंट लेकर संपत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है। **3.** इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर से. 0124–4302020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024, श्री मिथलेश कुमार, मो. नंबर 91–7080804466, ईमेल आईडीः **support@bankeauctions.com** और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कार्य दिवसों (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे) के दौरान कार्यालय समय में ऊपर बताए अनुसार प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। **4.** उच्चतम बोली **इंडसइंड बैंक लिमिटेड** के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। **5.** निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित भुगतान में किसी भी चूक के मामले में, बिक्री स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और बोलीदाता द्वारा की गई पूरी जमा राशि और बयाना राशि बिना किसी नोटिस के जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। चूककर्ता बोलीदाता के पास बैंक/प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध कोई सहारा/दावा नहीं होगा। **6.** विस्तृत नियम और शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट **www.indusind.com** और **www.bankeauctions.com** देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं को ई–नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, जिसके बाद संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाएगा तथा ब्याज और लागत सहित वसूल किया गया।

दिनांकः 04.09.2024 स्थानः गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी, इंडसलैंड बैंक लिमिटेड।**

Bandhan Bank

Bandhan Bank Limited
CIN: L67190WB2014PLC204622
Registered Office:
DN 32, SEC–V, Salt Lake City, Kolkata-700091

परिशिष्ट IV [नियम – 8(1)]

कब्ज़ा नोटिस

(अचल संपत्ति के लिए)

जहां,

बंधन बैंक लिमिटेड के निम्नहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत अधिकारी ने सिक्योरिटाइजेशन एन्ड रीकन्स्ट्रक्शन ओफ फाइनान्सियल एसेट्स एन्ड एन्फोर्समेन्ट ओफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (2002 का 54) (आगे से उक्त एक्ट) और सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स 2002 के रूल (आगे से उक्त रूल्स) के रूल 3 के सेक्शन 13(12) के साथ पढ़ते हुए प्रदत्त नियमों के आधार पर, दिनांक **अप्रैल 22, 2024** को संदर्भ संख्या **Ref: BBL/SAMRV/24-25/007** के साथ, उक्त रूल के सेक्शन 13(2) के तहत, डिमान्ड नोटिस जारी करते हुए उधारकर्ताओं/गारंटर/निर्देशक/बंधककर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता **मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (उधारकर्ता/बंधककर्ता)**, पताः– 472/13, चिश्ती चमन, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के पास, किशन गंज, दिल्ली–110007 और साथ ही एस–1 और एस–15 बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201002 और साथ ही ई–216 प्रथम मंजिल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065, **श्री अरुण कुमार सोम (निर्देशक/गारंटर)**, पताः– पिता, शेर सिंह, तीसरा एच–145, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001, **श्रीमती लविका सोम (गारंटर)**, पताः– पति अरुण कुमार सोम, तीसरा एच–145, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001, **श्री महेश चंद (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/निर्देशक)**, पिता ओम प्रकाश, 448 गली नंबर 2, गौपुरी गौशाला मंदिर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001 को नोटिस में उल्लिखित **राशि ₹15,52,31,480.81 (रुपये पंद्रह करोड़ बावन लाख इकतीस हजार चार सौ अस्सी और इक्यासी पैसे मात्र)** चुकाने के लिए, जो **दिसंबर 30, 2022** को देय राशि है, जो उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सहमत शर्तों के अनुसार **दिसंबर 31, 2022** से आगे लागू ब्याज, दंड ब्याज, शुल्क आदि के साथ देय है।

उधारकर्ता/गारंटर/निर्देशक/बंधककर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, उधारकर्ता/गारंटर/निर्देशक/बंधककर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ **वर्ष 2024 के अगस्त माह के इस 30वें दिन** नीचे वर्णित संपत्तियों का रचनात्मक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/निर्देशक/बंधककर्ता और आम जनता को संपत्तियों से लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन बंधन बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत **दिसंबर 30, 2022** तक देय राशि **₹15,52,31,480.81 रुपये (पंद्रह करोड़ बावन लाख इकतीस हजार चार सौ अस्सी और इक्यासी पैसे मात्र)** और उस पर ब्याज शामिल होगा।

उधारकर्ता/गारंटर/निर्देशक/बंधककर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त एक्ट, के सेक्शन 13 की सब–सेक्शन (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति, जिसका माप 1189.12 वर्ग मीटर है, जो मकान नंबर केए 35, ब्लॉक ए, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित (जी+1) मंजिला इमारत के साथ एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वामित्व में बिक्री विलेख संख्या 2017 की 6738 के अनुसार है। जिसे नकद ऋण, WCDL और TL को सुरक्षित करने के विशेष प्रभार किया गया है।

जो इस प्रकार आवरित है

उत्तर में या उत्तर की ओर: प्लॉट संख्या 36, दक्षिण में या दक्षिण की ओरः प्लॉट

पूर्व में या पूर्व की ओर: 40 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में या पश्चिम की ओर: प्लॉट संख्या 34

साथ में (i) सभी वर्तमान और भविष्य की इमारतें, हर तरह की संरचनाएं जो पूर्वोक्त परिसर या उसके किसी भाग से खड़ी, निर्मित या जुड़ी हुई हैं और सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं और उसके आनुषंगिक उपयोग के सभी अधिकार, साथ में सभी वर्तमान और भविष्य की स्वतंत्रताएं, विशेषाधिकार, सुखभोग और अनुलग्नक जो भी उक्त परिसर या उसके किसी भाग से संबंधित हैं या आमतौर पर उसमें रखे गए हैं, उसमें रहते हैं या उसका आनंद लेते हैं या उससे संबंधित होने या उसके अनुलग्न होने की उम्मीद है; और (ii) सभी संयंत्र और मशीनरी जो धरती से जुड़ी हुई हैं या धरती से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं, और ऐसे चल भाग जो उनमें शामिल हो गए हैं।

हस्ताक्षर–
दिनांकः अगस्त 30, 2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश बंधन बैंक लिमिटेड

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

HDB

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड–380009 शाखा कार्यालयः पहली मंजिल, नवाब यूसुफ रोड, एलडीए सेंटर 2 एसओ मार्ग, प्रयागराज, यूपी–211002

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता और गारंटर ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर **एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** से ऋणधवित्तीय सुविधा प्राप्त की है और उसके पुनर्भुगतान में चूक की है। आपकी चूक के परिणामस्वरूप आपका ऋण गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमे धारा 13(2) के अनुसार यहां प्रकाशित की जा रही है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम, आपके ऊपर वैकल्पिक सेवा के माध्यम से उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तारीख, नोटिस में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि और प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया हैः

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का नामः 1. निर्बान जेम्स, 2/छा/10, आरएचबी भट्टा बस्ती, नाहा का नाक, शास्त्री नगर जयपुर–302016 राजस्थान, और प्लॉट नंबर ए–268 और 269, संजय नगर में भट्टा बस्ती जयपुर–302016 राजस्थान, **2.** मुमताज ए, ए–268, संजय नगर भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर जयपुर–302016 राजस्थान, **3.** आबिद अली, ए–268, संजय नगर भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर जयपुर–302016 राजस्थान, **4.** अबुदल रशीद, ए–268, संजय नगर भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर जयपुर–302016 राजस्थान, **5.** मोहम्मद जाहिद अली, ए–268, संजय नगर भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर जयपुर–302016 राजस्थान, **6.** लियाकत अली, ए–268, संजय नगर भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर जयपुर–302016 राजस्थान, **7.** मुमताज एच, ए–268, संजय नगर भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर जयपुर–302016 राजस्थान, **ऋण खाता संख्याः** 2340054, 16567410 **ऋण राशि :** रु. 20,00000/– (केवल बीस लाख रुपये) **ऋण खाता संख्या** 2340054 द्वारा और **ऋण राशिः** रु. 3,10,000/– (केवल तीन लाख दस हजार रुपये) **ऋण खाता संख्या** 16567410 द्वारा मांग नोटिस दिनांकः 26.08.2024 , **दावा की गई राशि :** रु. 26.08.2024 तक 12,77,551.16 (बारह लाख सत्तहत्तर हजार पांच सौ इक्यावन रुपये और सोलह पैसे मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। **एनपीए तिथिः** 02.08.2024 सुरक्षा का विवरण –|: प्लॉट संख्या एए–268 और 269 वाली संपत्ति का पूरा टुकड़ा संजय नगर, भट्टा बस्ती, वार्ड नंबर 65, जयपुर राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 100.00 वर्ग यार्ड, पंजीकृत लीज डीड संख्या 68 के अनुसार, जयपुर निगार निगम द्वारा अब्दुल रशीद और मुमताज बानो के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज संख्या 2008052010312, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 581, पृष्ठ संख्या 52 पर 17–12–2008 **पूर्वः** अन्य भूखंड, **पश्चिमः** अन्य भूखंड, **उत्तरः** अन्य भूखंड, **दक्षिणः** सड़क।

उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ताओं का नामः 1. राज लक्ष्मी साड़ियां, बापू बाजार, चोमू जयपुर– 303702 राजस्थान, साथ हीः– दुकान नंबर 1, भूतल पर जेएस कॉम्प्लेक्स, बगासियो की मोरी, चोमू जिला में स्थित है। जयपुर–303702 राजस्थान **इसके अलावाः–** वार्ड नंबर 6 चोमू स्थित रावत शॉपिंग प्लाजा में पहली मंजिल पर दुकान नंबर एफ 15 और दुकान नंबर एफ 16 **2.** अर्जुन लाल कुमावत, 41, रतन बिहार कॉलोनी, वार्ड नंबर 09, चोमू जिला, जयपुर –303702 राजस्थान, **3.** सुनीता कुमावत, 41, रतन बिहार कॉलोनी, वार्ड नंबर 09, चोमू जिला, जयपुर –30 3702 राजस्थान, **4.** सुनीता कुमावत, वार्ड नंबर 09, रतन विहार कॉलोनी चौमू जिला, जयपुर–303702 राजस्थान **5.** अर्जुन लाल कुमावत, वार्ड नंबर 09, रतन विहार कॉलोनी चौमू जिला, जयपुर–303702 राजस्थान **ऋण खाता संख्याः** 2953624, 15251432: **ऋण राशिः** रु. 35,00,380/– (रुपये पैंतीस लाख तीन सौ अस्सी मात्र) **ऋण खाता संख्या** 2953624 द्वारा और **ऋण राशिः** रु.590,000/– (रुपये पाँच लाख नब्बे हजार मात्र) **ऋण खाता संख्या** 15251432 द्वारा मांग नोटिस दिनांकः 16.08.2024, **दावा की गई राशिः** रु. 13,54,339 (रुपये तेरह लाख चौवन हजार तीन सौ उनचलीस मात्र) 09.08.2024 तक और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। एनपीए तिथिः 02.08.2024 सुरक्षा का विवरण– I: संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जेएस कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर दुकान नंबर 1, बगसिया की मोरी, चोमू जिला जयपुर– 303702 राजस्थान में स्थित है।

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ताओं का नामः 1. अंजलि स्टील फर्नीचर, चिपू का मोहल्ला नई कॉलोनी सिटी किशनगंज अजमेर–305801 राजस्थान, और साथ हीय–प्लॉट नंबर 65, केएच नंबर 895/96 शिवाजी नगर मदनगंज तह किशनगंज–305801 राजस्थान के भाग में स्थित **2.** राकेश कुमार, मिर्जा बावड़ी रोड शास्त्री नगर किशनगंज–305801 राजस्थान, **3.** अंजलि डब्ल्यूब्ओ राकेश, मिर्जा बावड़ी रोड शास्त्री नगर किशनगंज–305801 राजस्थान, **ऋण खाता संख्याः** 30486789: **ऋण राशिः** रु. 43,85,000/– (रुपये तैंतालीस लाख पचासी हजार मात्र) **मांग नोटिस तिथिः** 16.08.2024, दावा की गई राशिः **रु. 09.08.2024** तक 44,38,062 (रुपये चौवालीस लाख अड़तीस हजार बासठ मात्र) और आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज। **एनपीए तिथिः** 02.08.2024 सुरक्षा का विवरण– |: संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल प्लॉट नंबर 65, खसरा नंबर 895/96 शिवाजी नगर, मदनगंज तहसील किशनगंज जिला अजमेर राजस्थान के हिस्से में स्थित है, क्षेत्रफल 144 वर्ग गज, **पूर्वः** चौड़ी सड़क, **पश्चिमः** सड़क, **उत्तरः** लाल चंद का घर, **दक्षिणः** पेन सिस्टर का घर।

उधारकर्ता व सह–उधारकर्ताओं का नामः 1. विजय शंकर तिवारी, 69, शिवाजी नगर सिविल लाइन वार्ड नं. 22, जयपुर–302006 राजस्थान, **साथ हीः–** प्लॉट नं. एचई353, हनुमान नगर एक्सटेंशन स्कीम जयपुर–302012 राजस्थान **2.** मीनाक्षी शर्मा, 69, शिवाजी नगर सिविल लाइन वार्ड नं. 22, जयपुर– 302006 राजस्थान, **3.** स्नेह तिवारी, 69, शिवाजी नगर सिविल लाइन वार्ड नं. 22, जयपुर–302006 राजस्थान, **ऋण खाता नं.:** 1512180, 2339974: **ऋण राशिः रु. 2,15,40,951/–** (रुपये दो करोड़ पंद्रह लाख चालीस हजार नौ सौ इक्यावन मात्र) ऋण खाता संख्या 1512180 द्वारा और ऋण राशिरू **रु. 45,26,358/–** (रुपये पैंतालीस लाख छब्बीस हजार तीन सौ अट्ठावन मात्र) ऋण खाता संख्या 2339974 द्वारा मांग नोटिस दिनांकः 16.08.2024, **दावा की गई राशिः** रु. 2,18,34,849 (रुपये दो करोड़ अठारह लाख चौंतीस हजार आठ सौ उन्तालीस मात्र) 09.08.2024 तक और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। **एनपीए तिथिः** 02.08.2024 सुरक्षा का विवरण– |: प्लॉट संख्या एचई353, हनुमान नगर विस्तार योजना जयपुर – 302012 राजस्थान की संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, मापने वाला क्षेत्र 444.44 वर्ग गज।,

इसलिए आपसे, उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त मांग की गई राशि को अतिरिक्त ब्याज के साथ भुगतान करें, ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। उपरोक्त उल्लिखित प्रतिभूतियों को लागू करें। (उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।) कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप हैं उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरित करने से रोका गया है और अधिनियम की धारा 13(13) का कोई भी अनुपालन उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया विकास आनंद – 9711010384 से संपर्क करेंः

स्थानः जयपुर दिनांकः 04.09.2024 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग
डी–7, सेक्टर 3, नोएडा (उ.प्र.) 201301

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार(रों)/जमानती(यों) से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की थी।

कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधककर्ता के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार यहां नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख वर्णित राशियों तथा ब्याज एवं अन्य प्रभारों/व्ययों के लिए उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
1. सुरेश चंद्र पुत्र दुर्गा प्रसाद, 2/423, टीका राम बाउंड्री के पीछे, बेगम बाग, रमाबाई अस्पताल के पीछे, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202001 2. कमलेश शर्मा पत्नी सुरेश चंद्र शर्मा, 2/423, बेगम बाग हॉस्टल के पीछे, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202001 इसके अलावाः–मकान नंबर 32, बेगम बाग, कल्याण नगर, तहसील – कोइल, जिला. – अलीगढ़, उ.प्र. – 202001 ऋण खाता संख्या 2269210080000075 में	आवासीय मकान का समस्त भाग, खसरा नं. 1601 पर निर्मित, माप 145.83 वर्ग गज, बेगम बाग, तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, उ.प्र. में स्थित, सीमाएं इस प्रकार हैं : सीमाएं : पूर्व : कुसुम लता की भूमि, पश्चिम : सड़क, उत्तर : ट्रस्ट की भूमि, दक्षिण : सुरेश चन्द्र यानि आप में से नं. 1 से संबंधित सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथिः 26.03.2024 कब्जे की तारीखः 31.08.2024	रु. 3,76,440/– तिथि 20.03.2024 तक

तिथि : 04.09.2024 **स्थान : उत्तर प्रदेश** **अधिकृत प्राधिकारी**

IndusInd Bank

वित्तीय पुनर्गठनीकरण एवं पुनर्निर्माण समूह,
11वां तल, हयात रेजेंसी कॉम्प्लेक्स,
न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली—110066

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'') के अंतर्गत इंडसइंड बैंक के पास बंधककृत अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशिष्ट रूप में उधारकता/बंधककर्ताओं/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने, बैंक की बकाया देयराशियों तथा यहां नीचे विवरणितानुसार ब्याज की वसूली करने के लिये ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'', ''वहां जो कुछ भी है'' तथा ''बिना उपाय वसूली'' आधार पर निम्नलिखित संपत्ति(यों) को बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता के अंतर्गत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के माध्यम से उठायी गयी मांग के अनुपालन में उन संपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण कर लिया था तथा कि देयराशियों के प्रतिभुगतान में विफल होने के परिणामस्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ता, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत, उक्त संपत्ति(यों) के विक्रय द्वारा बैंक की देयराशियों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं।निम्न वर्णित संपत्तियों का विक्रय, वेब पोर्टलः **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से ई–नीलामियों के द्वारा किया जायेगा।

खाता/बंधककर्ताओं/गारंटरों का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि तथा मांग सूचना तिथि
मैसर्स नबीला इम्पेक्स, श्री अब्दुल कय्यूम खान, श्रीमती कादर जहां खान	30.06.2022 तक रु.47,74,681.75 (सैंतालीस लाख चौहत्तर हजार छह सौ इक्यासी रुपये और पचहत्तर पैसे मात्र), साथ में 01.07.2022 से अतिरिक्त ब्याज और उस पर लागत, शुल्क और व्यय आदि। मांग सूचना तिथि : 18.08.2022

संपत्तियों के विवरण	आरक्षित मूल्य धराज बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
प्लॉट नंबर 25 और 27, नॉलेज पार्क–II, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (यूपी) में इंडिया एक्सपो मार्ट (मेसर्स इंडिया एक्सपोज़िशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा) के नाम से जानी जाने वाली व्यावसायिक बिल्डिंग में पहली मंजिल पर स्थित मार्ट नंबर बी03/33 (पुराना मार्ट नंबर एफ–43) का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश , जिसका सुपर एरिया 43.63 वर्ग मीटर और कारपेट एरिया 24 वर्ग मीटर है।	रु.70.70 लाख रु. 7.07 लाख रु. 1.00 लाख	26.09.2024 को प्रातः 10.00 बजे से मध्या. 11 बजे तक	24.09.2024 को सायं 4.00 बजे तक

प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा संपर्क विवरण : यतेंद्र कुमार,
मोबाइल नं.: 9990799379, ई-मेल आईडी:- kumar.yatendra@indusind.com

नियम और शर्तेः 1. इच्छुक बोलीदाताओं को अपना ईएमडी विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टलः **https:www.bankeauctions.com** (प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड **https://www.bankeauctions** के साथ नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) लॉगिन आईडी व पासवर्ड के द्वारा, के माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे। ईएमडी निम्नलिखित खातेः 00053564604005, आईएफएससी कोड – छ्क्ठ0000005 में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से उपरा. क्त तालिका में उल्लिखित तिथियों को या उससे पहले सायं 4:00 बजे तक देय होगी। कृपया ध्यान दें कि चैक को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. हालांकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक देय राशि / ऋणभार / कर बकाया, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभारों, संपत्ति(यों) के स्वामित्व के संबंध में अपना स्वयं का निरीक्षण कर लेना चाहिये तथा इस बाबत स्वयं को संतुष्ट करने के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। 3. इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोलीदान प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर 0124–4302020/2021/2022/2023/2024, श्री मिथिलेश कुमार, मो. नंबर 91–7080804466, ईमेल आईडीः **support@bankeauctions.com** से, और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कार्यदिवसों में कार्यालय समय (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) पर उपरोक्त वर्णितानुसार प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 5. निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में, बिक्री स्वतः ही रद्द हो जाएगी और बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी जमा राशि और बयाना राशि बिना किसी नोटिस के जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। चूककर्ता बोलीदाता के पास बैंक/प्राधिकृत अधिकारी के खिलाफ कोई सहारा/दावा नहीं होगा। 6. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट **www.indusind.com** और **www.bankeauctions.com** देखें।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई–नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ उपरोक्त अंकितानुसार राशि का भुगतान कर दें। भुगतान न करने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी/उसे बेच दिया जायेगा तथा शेष बकाया देयराशि, यदि कोई, की वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 04–09–2024 **स्थान : ग्रेटर नोएडा** **प्राधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड**

एस्कॉर्ट्स डीलर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड

CIN: U51909HR1901PLC008636
पंजीकृत पताः 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा– 121003, भारत
फोन नंबर– 0129–2564400 | ई–मेल आईडी– corp.secretarial@escortskubota.com

एस्कॉर्ट्स डीलर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड के सदस्यों को सूचनार्थ

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एस्कॉर्ट्स डीलर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड (**''कंपनी''**) के सदस्यों की 47वीं वार्षिक सामान्य सभा (**''एजीएम''**) **बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को 03:00 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (**''वीसी''**)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (**''ओएवीएम''**) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ–साथ सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (**''एमसीए''**) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों (सामूहिक रूप से **''संबंधित परिपत्र''** के रूप में संदर्भित) को निर्धारित व्यवसायों के लेन–देन करने के लिए एजीएम नोटिस में निर्धारित किया गया है।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना (**''नोटिस''**) और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, 02 सितंबर, 2024 को कंपनी के उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते 28 अगस्त, 2024 तक कंपनी के साथ पंजीकृत हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (**सीडीएसएल**) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई–मेल पते पंजीकृत करने/अपडेट करने के लिए कंपनी से उसके पंजीकृत कार्यालय पर संपर्क करें। जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है, वे कंपनी के साथ अपना ई–मेल आईडी अपडेट करने के बाद ही एजीएम में मतदान कर सकेंगे।

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (**''ई–वोटिंग''**) से मतदान करने का अधिकार प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य यहां नीचे उल्लिखित तिथियों (**''दूरस्थ ई–वोटिंग''**) पर सीडीएसएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके दूरस्थ रूप से मतदान कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, वे एजीएम में निर्दिष्ट तरीके से मतदान कर सकेंगे।

जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से अपना मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। कट–ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितंबर, 2024 तक के सदस्य ई–वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने के हकदार होंगे। कंपनी के सदस्य रजिस्टर 18 सितंबर, 2024 से 25 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

ई–वोटिंग से संबंधित जानकारी एवं निर्देश सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेज दिये गये हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल ईमेल के माध्यम से अलग से भेजे जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्देशों का पालन करें। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

आपकी कंपनी सीडीएसएल के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग सुविधा की पेशकश करके प्रसन्न है, जो आपको एजीएम के नोटिस में बताए गए व्यवसाय के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाएगी।

रिमोट ई–वोटिंग की अंतिम तिथि	18 सितंबर, 2024
दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि	रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **शनिवार, 21 सितंबर, 2024** को **सुबह 9:00 बजे** शुरू होगी और **मंगलवार, 24 सितंबर, 2024** को **शाम 5:00 बजे** समाप्त होगी। उसके बाद ई–वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग अक्षम कर दी जाएगी।

वे सदस्य, जिनका नाम कट–ऑफ तिथि, यानी 18 सितंबर, 2024 को कंपनी द्वारा बनाए गए ROM में दर्ज है, केवल रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने या एजीएम में भाग लेने और मतदान के दौरान मतदान करने का हकदार होगा। वे व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लें।

इस विषय पर परिणाम **शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (शाम 5:00 बजे)** को या उससे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किए जाएंगे और इसे सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि पर शेयर रखता है, वह नोटिस में दिए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 या ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर को प्रेषित की जा सकती हैं अथवा टोल फ्री नंबर– 1800–225533 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
एस्कॉर्ट्स डीलर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड के लिए
एसडी/–
—नीरज मेहरा
निदेशक
डीआईएन– 09823309

दिनांकः 02/09/2024
स्थानः फरीदाबाद

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003, के समक्ष।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप धारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले में ।

एवं

मै. कैमल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U65923DL1993PTC148267)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1/102, WHS, कीर्ति नगर, नई दिल्ली –110015 में है, के मामले में।

(याचिकाकर्ता)

एवं

मै. कैमल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य'' में स्थानांतरित करने के लिये शुक्रवार दिनांक 16 अगस्त, 2024 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लेखित हो, के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को ऊपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

आवेदक की ओर से और उसके लिए
मै. कैमल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/
मनोज दुआ
निदेशक
DIN:01010529

दिनांक: 03.09.2024
स्थान : दिल्ली

JANA SMALL FINANCE BANK
(A scheduled commercial bank)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071
शाखा कार्यालयः 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005

ई–नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है यही है'' के आधार पर यहां नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर के नाम	13-2 सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	31.08.2024 तक वर्तमान बकाया शेष	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. में	ई-नीलामी की तिथि तथा समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय तथा स्थान
1	32069630000191	1) श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री सेवाराम (आवेदक), 2) श्रीमती बिमला पत्नी सेवा राम (सह-आवेदक)	15.03.2024	07.08.2024	रु. 19,48,999.72 (रुपये उन्नीस लाख अड़तालीस हजार नौ सौ निन्यानबे एवं बहत्तर पैसे मात्र)	25.09.2024 09:30 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.	रु. 14,05,500/– (रुपये चौदह लाख पांच हजार पांच सौ मात्र)	रु. 1,40,500/– (रुपये एक लाख चालीस हजार पांच सौ मात्र)	09.10.2024 को 11:00 बजे पूर्वा.	08.10.2024 को 05:00 बजे अप. से पूर्व जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005
	प्रतिभूत संपत्तियों का विवरणः अचल संपत्ति का समस्त भाग, किला नंबर 38//16/3, क्षेत्रफल 93.44 वर्ग गज, लहराडा जिला सोनीपत की आबादी में स्थित है। मालिक श्रीमती बिमला देवी, पत्नी श्री सेवा राम। सीमाः पूर्वः मकान सूरजमल, पश्चिमः गली/रास्ता 11 फीट चौड़ा, उत्तरः प्लॉट नरेश, दक्षिणः मकान सूरजमल।									

संपत्तियों को ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है यही है'' के आधार पर बेजा जा रहा है और ई-नीलामी 'ऑन लाइन' आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता **मैसर्स 4क्लोजर** के माध्यम से वेब पोर्टल **https://bankauctions.in** तथा **www.foreclosureindia.com** पर आयोजित की जाएगी।

अधिक जानकारी और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मैसर्स 4क्लोजर; **श्री उत्कर्ष आदेश** संपर्क नंबरः 9515160064, ईमेल आईडीः **info@bankauctions.in/adesh@bankauctions.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी **श्री तुंग कौशिक (मो. नं. 9873662400), श्री राकेश शर्मा (मो. 7230070463), रंजन नाइक (मो. नं. 6362951653)** से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, हित के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/गारंटर/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है। कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी।

दिनांकः 04.09.2024, स्थानः सोनीपत **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**